

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :- विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 175/2019 वाद
GCMS No. - 2019/00528

1. श्री केसरबाई पत्नी माधवलाल खटीक निवासी धनोरा रोड़, गायरियों का मोहल्ला, लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।

-वादी

बनाम

1. श्री कालूराम पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
2. नानालाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा।
3. भगवानी पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा। (नाम विलोपित आदेश 10.09.2024)
4. किशनबाई पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा। (नाम विलोपित आदेश 10.09.2024)
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेड़ा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री अनुराग औझा - अधिवक्ता वादी
2- श्री कौशल भराडिया - अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक :- 08.01.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा लसड़ावन तहसील लसड़ावन तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 1354 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 07.10.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेड़ा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री केसर पत्नी माधवलाल जाति खटीक सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1354 / 1	0.13	चाही 2

कुल किता-1 0.13

- 2 कालूराम, नानालाल पिता मांगीलाल खटीक सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1354 मी.	0.25	चाही 2

कुल किता-1 0.25

वकील उभयपक्ष ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। वादी पक्षकारान ने तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त फर्द विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहकारिता प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

1. श्री केसर पत्नी माधवलाल जाति खटीक सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1354 / 1	0.13	चाही 2

कुल किता-1 0.13

2 कालुराम, नानालाल पिता मांगीलाल खटीक सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1354 मी.	0.25	चाही 2

कुल किता-1 0.25

तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा ३

प्रकरण संख्या 175/2019 वाद
मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. श्री केसरबाई पत्नी माधवलाल खटीक निवासी धनोरा रोड़, गायरियों का मोहल्ला, लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा।

-वादी

बनाम

1. श्री कालूराम पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा।
2. नानालाल पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा।
3. भगवानी पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा। (नाम विलोपित आदेश 10.09.2024)
4. किशनबाई पिता मांगीलाल खटीक निवासी लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा। (नाम विलोपित आदेश 10.09.2024)
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा।

-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- 1- श्री अनुराग औझा - अधिवक्ता वादी
2- श्री कौशल भराडिया - अधिवक्ता प्रतिवादी 1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक :-08.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा बहाजिरी श्री अनुराग औझा अधिवक्ता वादी, श्री कौशल भराडिया व पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार निम्बाहेडा हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर वाके मौजा लसड़ावन तहसील लसड़ावन तहसील निम्बाहेडा की आराजी नंबर 1354 रकबा 0.3800 हैक्टयेर भूमि का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 07.10.2024 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार निम्बाहेडा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार निम्बाहेडा ने बंटवारा फर्द विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

1. श्री केसर पत्नी माधवलाल जाति खटीक सा. देह खातेदार



आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1354 / 1	0.13	चाही 2

कुल किता-1 0.13

- 2 कालुराम, नानालाल पिता मांगीलाल खटीक सा. देह खातेदार

आराजी न.	रकबा (हैक्टयेर)	किस्म
1354 मी.	0.25	चाही 2

कुल किता-1 0.25

अतः उपरोक्तानुसार बंटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार निम्बाहेडा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे व पहुंच मार्ग सुनिश्चित करें। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।


सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

चीज मुबलिक बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे
 बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.01.2025 को जारी की
 गई।
 मुहर



दस्तखत
 ओहदा
 सहायक कलक्टर
 गिब्राहेडा

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
.....				
स्टाम्प वकालतनामा	..		स्टाम्प वकालतनामा		
.....				
स्टाम्प वजह सबूत	..		स्टाम्प वजह सबूत		
.....				
महनताना वकील	...		महनताना वकील		
.....				
खर्चा गवाहान.	...		खर्चा गवाहान		
.....	0	0	0	0
फीस कमिश्नर.	..		फीस कमिश्नर		
.....				
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
.....				
मुतफरिक			मुतफरिक		
.....				
मीजान			मीजान		



नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।